रजिस्ट्री सं.डीएल—(एन) 04/0007/2003—20 REGISTERED No.DL—(N) 04/0007/2003—20

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06022021-224988
CG-DL-W-06022021-224988

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 6—फरवरी 12, 2021 (माघ 17, 1942)

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 6—FEBRUARY 12, 2021 (MAGHA 17, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली – 110011, दिनांक 19 जनवरी 2021

सं. ए-22013/1(i)/2020-पीएमई—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/2/2020-सीएस-I(एस) और गृह मंत्रालय के दिनांक 04.01.2021 के कार्यालय आदेश संख्या ए-32013/19/2020-एडी.I की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के सहायक अनुभाग अधिकारी श्री अतुल कुमार को प्रधान मंत्री कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दिनांक 24.12.2020 (अपराह्न) से 30.06.2021 तक या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्न अदालती मामलों के परिणाम के अध्यधीन होगी:

क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सिविल रिट याचिका सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले।

ख. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती मामले।

ग. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती मामले।

ii. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति या एनएफएस जारी किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

iii. तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iv. अनिवार्य प्रशिक्षण से छूट केवल तदर्थ पदोन्नतियों के लिए प्रदान की गई है। यदि तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारी छूटप्राप्त श्रेणी में शामिल नहीं हैं तो उन्हें अपनी नियमित पदोन्नतियों से पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकित किए जाने पर लेवल "बी" के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर उन पर उनके मूल ग्रेड अर्थात् एएसओ के ग्रेड में पदावनत किए जाने सहित सीएसएस नियम, 2009 और उनके विनियमों और सीएसएस अधिकारियों के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना (सीटीपी) के संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

सं. ए-22013/1(ii)/2020-पीएमई—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/2/2020-सीएस-I(एस) और गृह मंत्रालय के दिनांक 04.01.2021 के कार्यालय आदेश संख्या ए-32013/19/2020-एडी.I की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के सहायक अनुभाग अधिकारी श्री कुमार अभिनव को प्रधान मंत्री कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दिनांक 24.12.2020 (अपराह्न) से 30.06.2021 तक या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्न अदालती मामलों के परिणाम के अध्यधीन होगी:

क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सिविल रिट याचिका सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले।

ख. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती मामले।

ग. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती मामले।

ii. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति या एनएफएस जारी किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

iii. तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iv. अनिवार्य प्रशिक्षण से छूट केवल तदर्थ पदोन्नतियों के लिए प्रदान की गई है। यदि तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारी छूटप्राप्त श्रेणी में शामिल नहीं हैं तो उन्हें अपनी नियमित पदोन्नतियों से पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकित किए जाने पर लेवल "बी" के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर उन पर उनके मूल ग्रेड अर्थात् एएसओ के ग्रेड में पदावनत किए जाने सहित सीएसएस नियम, 2009 और उनके विनियमों और सीएसएस अधिकारियों के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना (सीटीपी) के संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

सं. ए-22013/1(iii)/2020-पीएमई—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/2/2020-सीएस-I(एस) और गृह मंत्रालय के दिनांक 04.01.2021 के कार्यालय आदेश संख्या ए-32013/19/2020-एडी.I की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के सहायक अनुभाग अधिकारी श्री उग्रसेन कुमार को प्रधान मंत्री कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दिनांक 24.12.2020 (अपराह्न) से 30.06.2021 तक या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्न अदालती मामलों के परिणाम के अध्यधीन होगी:

क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सिविल रिट याचिका सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले।

ख. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती मामले।

ग. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती मामले।

ii. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति या एनएफएस जारी किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

iii. तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iv. अनिवार्य प्रशिक्षण से छूट केवल तदर्थ पदोन्नतियों के लिए प्रदान की गई है। यदि तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारी छूटप्राप्त श्रेणी में शामिल नहीं हैं तो उन्हें अपनी नियमित पदोन्नतियों से पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकित किए जाने पर लेवल "बी" के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर उन पर उनके मूल ग्रेड अर्थात् एएसओ के ग्रेड में पदावनत किए जाने सहित सीएसएस नियम, 2009 और उनके विनियमों और सीएसएस अधिकारियों के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना (सीटीपी) के संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

सं. ए-22013/1(iv)/2020-पीएमई—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/2/2020-सीएस-I(एस) और गृह मंत्रालय के दिनांक 04.01.2021 के कार्यालय आदेश संख्या ए-32013/19/2020-एडी.I की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के सहायक अनुभाग अधिकारी श्री अजय कुमार मीणा को प्रधान मंत्री कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दिनांक 24.12.2020 (अपराह्न) से 30.06.2021 तक या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्न अदालती मामलों के परिणाम के अध्यधीन होगी:

क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सिविल रिट याचिका सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले।

ख. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती मामले।

ग. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती मामले।

ii. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति या एनएफएस जारी किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

iii. तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iv. अनिवार्य प्रशिक्षण से छूट केवल तदर्थ पदोन्नतियों के लिए प्रदान की गई है। यदि तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारी छूटप्राप्त श्रेणी में शामिल नहीं हैं तो उन्हें अपनी नियमित पदोन्नतियों से पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकित किए जाने पर लेवल "बी" के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर उन पर उनके मूल ग्रेड अर्थात एएसओ के ग्रेड में पदावनत किए जाने सहित सीएसएस नियम, 2009 और उनके विनियमों और सीएसएस अधिकारियों के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना (सीटीपी) के संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

सं. ए-22013/1(v)/2020-पीएमई—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/2/2020-सीएस-I(एस) और गृह मंत्रालय के दिनांक 04.01.2021 के कार्यालय आदेश संख्या ए-32013/19/2020-एडी.I की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के सहायक अनुभाग अधिकारी श्री हेमन्त शर्मा को प्रधान मंत्री कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दिनांक 24.12.2020 (अपराह्न) से 30.06.2021 तक या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्न अदालती मामलों के परिणाम के अध्यधीन होगी:

क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सिविल रिट याचिका सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले।

ख. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती मामले।

ग. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती मामले।

ii. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति या एनएफएस जारी किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

iii. तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iv. अनिवार्य प्रशिक्षण से छूट केवल तदर्थ पदोन्नतियों के लिए प्रदान की गई है। यदि तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारी छूटप्राप्त श्रेणी में शामिल नहीं हैं तो उन्हें अपनी नियमित पदोन्नतियों से पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकित किए जाने पर लेवल "बी" के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर उन पर उनके मूल ग्रेड अर्थात् एएसओ के ग्रेड में पदावनत किए जाने सहित सीएसएस नियम, 2009 और उनके विनियमों और सीएसएस अधिकारियों के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना (सीटीपी) के संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

सं. ए-22013/1(vi)/2020-पीएमई—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/2/2020-सीएस-I(एस) और गृह मंत्रालय के दिनांक 04.01.2021 के कार्यालय आदेश संख्या ए-32013/19/2020-एडी.I की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के सहायक अनुभाग अधिकारी श्री विवेक प्रकाश को प्रधान मंत्री कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दिनांक 24.12.2020 (अपराह्न) से 30.06.2021 तक या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्न अदालती मामलों के परिणाम के अध्यधीन होगी:

क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सिविल रिट याचिका सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले।

ख. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती मामले।

ग. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती मामले।

ii. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति या एनएफएस जारी किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

iii. तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iv. अनिवार्य प्रशिक्षण से छूट केवल तदर्थ पदोन्नतियों के लिए प्रदान की गई है। यदि तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारी छूटप्राप्त श्रेणी में शामिल नहीं हैं तो उन्हें अपनी नियमित पदोन्नतियों से पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकित किए जाने पर लेवल "बी" के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर उन पर उनके मूल ग्रेड अर्थात एएसओ के ग्रेड में पदावनत किए जाने सहित सीएसएस नियम, 2009 और उनके विनियमों और सीएसएस अधिकारियों के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना (सीटीपी) के संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

सं. ए-22013/1(vii)/2020-पीएमई—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/2/2020-सीएस-I(एस) और गृह मंत्रालय के दिनांक 04.01.2021 के कार्यालय आदेश संख्या ए-32013/19/2020-एडी.I की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के सहायक अनुभाग अधिकारी श्री चंदन कुमार को प्रधान मंत्री कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दिनांक 24.12.2020 (अपराह्न) से 30.06.2021 तक या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्न अदालती मामलों के परिणाम के अध्यधीन होगी:

क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सिविल रिट याचिका सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले।

ख. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती मामले।

ग. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती मामले।

ii. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति या एनएफएस जारी किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

iii. तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iv. अनिवार्य प्रशिक्षण से छूट केवल तदर्थ पदोन्नतियों के लिए प्रदान की गई है। यदि तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारी छूटप्राप्त श्रेणी में शामिल नहीं हैं तो उन्हें अपनी नियमित पदोन्नतियों से पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकित किए जाने पर लेवल "बी" के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर उन पर उनके मूल ग्रेड अर्थात एएसओ के ग्रेड में पदावनत किए जाने सहित सीएसएस नियम, 2009 और उनके विनियमों और सीएसएस अधिकारियों के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना (सीटीपी) के संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

सं. ए-22013/1(viii)/2020-पीएमई—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/2/2020-सीएस-I(एस) और गृह मंत्रालय के दिनांक 04.01.2021 के कार्यालय आदेश संख्या ए-32013/19/2020-एडी.I की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के सहायक अनुभाग अधिकारी श्री विनोद कुमार रावत को प्रधान मंत्री कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दिनांक 24.12.2020 (अपराह्न) से 30.06.2021 तक या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्न अदालती मामलों के परिणाम के अध्यधीन होगी:

क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सिविल रिट याचिका सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले।

ख. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती मामले।

ग. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती मामले।

ii. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति या एनएफएस जारी किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

iii. तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iv. अनिवार्य प्रशिक्षण से छूट केवल तदर्थ पदोन्नतियों के लिए प्रदान की गई है। यदि तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारी छूटप्राप्त श्रेणी में शामिल नहीं हैं तो उन्हें अपनी नियमित पदोन्नतियों से पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकित किए जाने पर लेवल "बी" के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर उन पर उनके मूल ग्रेड अर्थात एएसओ के ग्रेड में पदावनत किए जाने सहित सीएसएस नियम, 2009 और उनके विनियमों और सीएसएस अधिकारियों के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना (सीटीपी) के संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

सं. ए-22013/1(ix)/2020-पीएमई—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/2/2020-सीएस-I(एस) और गृह मंत्रालय के दिनांक 04.01.2021 के कार्यालय आदेश संख्या ए-32013/19/2020-एडी.I की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के सहायक अनुभाग अधिकारी श्री लोकेन्द्र ओरिया को प्रधान मंत्री कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दिनांक 24.12.2020 (अपराह्न) से 30.06.2021 तक या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्न अदालती मामलों के परिणाम के अध्यधीन होगी:

क. पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सिविल रिट याचिका सं. 13218/2009 में दिए गए अंतिम निर्णय और दिनांक 15.07.2011 के आदेश के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य संबंधित मामले।

ख. ऑल इंडिया इक्वेलिटी फोरम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 और किसी भी सक्षम न्यायालय में संबंधित अन्य अदालती मामले।

ग. संबंधित मामले में कोई भी अन्य अदालती मामले।

ii. यह तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का या अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति या एनएफएस जारी किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;

iii. तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है;

iv. अनिवार्य प्रशिक्षण से छूट केवल तदर्थ पदोन्नतियों के लिए प्रदान की गई है। यदि तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारी छूटप्राप्त श्रेणी में शामिल नहीं हैं तो उन्हें अपनी नियमित पदोन्नतियों से पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकित किए जाने पर लेवल "बी" के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर उन पर उनके मूल ग्रेड अर्थात एएसओ के ग्रेड में पदावनत किए जाने सहित सीएसएस नियम, 2009 और उनके विनियमों और सीएसएस अधिकारियों के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना (सीटीपी) के संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

चिराग एम. पंचाल, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 जनवरी 2021

सं. आरएस/12/35/2020-स्था.(सा.)—श्री राघवेंद्र राव, संयुक्त निदेशक (ईएंडटी) के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप वह सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48-ए के अंतर्गत 31 जनवरी, 2021 के अपराह्न से सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

नरेन्द्र कुमार, अपर निदेशक

दिनांक 1 फरवरी 2021

सं. आरएस/12/40/2020-स्था.(सा.)—श्रीमती उमादेवी एन., अधिशासी अधिकारी (इन-सीटू) के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप वह सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48-ए के अंतर्गत 31 जनवरी, 2021 के अपराह्न से सेवा से सेवानिवृत्त हो गयी हैं।

नरेन्द्र कुमार, अपर निदेशक

सं. आरएस/12/43/2020-स्था.(सा.)—श्री जो मैथ्यू, निदेशक (आई) के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप वह सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48-ए के अंतर्गत 29 जनवरी, 2021 के अपराह्न से सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

नरेन्द्र कुमार, अपर निदेशक

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2021

सं. ए-32012/02/2020–प्रशाI.(वि.का.)—राष्ट्रपति, डॉ. राघवेंद्र सिंह श्रीनेत, सहायक विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग के ग्रेड-4) को दिनांक 14.01.2021 के पूर्वाह्न से विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में उप विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग के ग्रेड-3) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार जोशी, निदेशक

दिनांक 20 जनवरी 2021

सं. ए-32012/01/2020–प्रशा I.(वि.का.)—राष्ट्रपति, श्री अमरीश कुमार, सहायक सरकारी अधिवक्ता (भारतीय विधि सेवा के सरकारी अधिवक्ता सेवा संवर्ग के ग्रेड-4) को दिनांक 18.01.2021 के पूर्वाह्न से विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में उप सरकारी अधिवक्ता (भारतीय विधि सेवा के सरकारी अधिवक्ता सेवा संवर्ग के ग्रेड-3) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार जोशी, निदेशक

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली–01, दिनांक 25 जनवरी 2021

सं. I–18011/09/2019–आई.पी.एस.–4––भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अजय सिंह, भा.पु.से.(एम.पी.: 2013) को दिनांक 02.09.2015 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं ।

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

नई दिल्ली–110001, दिनांक 14 जनवरी 2021

सं.I–14012/18/2019–आई0पी0एस0–4––राष्ट्रपति, 2018 एवं 2019 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2017 एवं 2018 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था को, उनके भारतीय प्रशासनिक सेवा में सिविल सेवा परीक्षा–2019 के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन होने पर उनका तकनीकी त्यागपत्र पर प्रत्येक के नाम के सामने अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा से पुनर्ग्रणाधिकार के बगैर (without lien) स्वीकार करते है :–

क्र.सं.	प्राबेशनर का नाम मिस./सर्व श्री	सवर्ग	बैच	अखिल भारतीय सेवा जिसमे नियुक्ति हुई	तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृति की तिथि
1.	अजय कुमार गौतम	मध्य प्रदेश	2019	भारतीय प्रशासनिक सेवा	09.10.2020 (अप.)
2.	मंयक मिततल	राजस्थान	2019	भारतीय प्रशासनिक सेवा	09.10.2020 (अप.)
3.	निकास कुमार	मणिपुर	2019	भारतीय प्रशासनिक सेवा	09.10.2020 (अप.)
4.	पाटिल योगेश अशोकराव	मणिपुर	2019	भारतीय प्रशासनिक सेवा	09.10.2020 (अप.)
5.	अरण्यक सैकिया	कर्नाटक	2018	भारतीय प्रशासनिक सेवा	09.10.2020 (अप.)
6.	हेमन्थ एन.	त्रिपुरा	2019	भारतीय प्रशासनिक सेवा	09.10.2020 (अप.)
7.	अपूर्वा चौहान	अगमुट	2019	भारतीय प्रशासनिक सेवा	08.10.2020 (अप.)

अंजन सरकार, अवर सचिव

दिनांक 20 जनवरी 2021

सं. I-11014/15/2015-IPS.IV—भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियम-1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों एवं ओडिशा और पंजाब सरकार की सहमति के साथ, केंद्र सरकार श्रीमती सौम्या मिश्रा, IPS (OD:2014) का श्री दीपक पारीक, IPS (PB:2014) के साथ विवाह होने के आधार पर ओडिशा कैडर से पंजाब कैडर में स्थानांतरण करती है।

अंजन सरकार, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2021

सं.ए–38013/1/2020–आ.सला.(प्रशा–1)––अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिजय एवं उद्योग मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री नरेश बाली 31जनवरी, 2021 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

मीनाक्षी रावत, आर्थिक सलाहकार

भारी उद्योग और उद्यम मंत्रालय
(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली–110003, दिनांक 5 जनवरी 2021

सं.ए–19011/281/2021–प्रशा.––आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 19 दिसम्बर, 2020 के आदेश सं.13016/1/2020–आईईएस द्वारा कोयला मंत्रालय से लोक उद्यम विभाग में उनकी पदोन्नति एवं तैनाती के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री शंकर लाल (आईईएस : 2016) को लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में दिनांक 1 जनवरी, 2021 के पूर्वाहन से पे मैट्रिक्स (रूपए 67,700–2,08,700/–) के लेवल–11 में उप–निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

नरेश कुमार, अवर सचिव

सं.ए–19011/282/2021–प्रशा.––मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय के दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 के आदेश सं. ए–22012/1/2020–सीएसी द्वारा जीएसटी ऑडिट आयुक्तालय, कोच्चि से लोक उद्यम विभाग में उनकी पदोन्नति एवं तैनाती के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री रोहिन कोप्पूरावूरी को लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में दिनांक 1 जनवरी, 2021 के पूर्वाहन से पे मैट्रिक्स (रूपए 67,700–2,08,700/–) के लेवल–11 में उप–निदेशक (लागत) के रूप में नियुक्त करते हैं।

नरेश कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 19 जनवरी 2021

सं. ए. 12025/279/2016-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ॰ अभिषेक ठाकुर को दिनांक 29 अक्टूबर, 2019 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी.-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/-रूपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ॰ अभिषेक ठाकुर को राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

के. वैंकटेसन, अवर सचिव

सं. ए. 12025/23/2017-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ॰ आशा बेनज़ीर एम. को दिनांक 01 मई, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी॰बी-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/-रूपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ॰ आशा बेनज़ीर एम. को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

के. वैंकटेसन, अवर सचिव

सं. ए. 12025/126/2017-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ॰ वरुण अग्रवाल को दिनांक 26 फ़रवरी, 2020 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी॰बी-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/-रूपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. वरुण अग्रवाल को सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

के. वैंकटेसन, अवर सचिव

सं. ए. 12025/267/2017-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ॰ आशीष कुमार यादव को दिनांक 22 अक्तूबर, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी॰बी-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/-रूपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ॰ आशीष कुमार यादव को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

के. वैंकटेसन, अवर सचिव

सं. ए. 12025/295/2017-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ॰ कोंकला सुधा किरन को दिनांक 22 अक्टूबर, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी॰बी-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/-रूपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। हैं। डॉ॰ कोंकला सुधा किरन को श्रम मंत्रालय (श्रमिक कल्याण संगठन, हैदराबाद) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

के. वैंकटेसन, अवर सचिव

सं. ए. 12025/41/2019-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ॰ रिचा मित्तल को दिनांक 27 सितम्बर, 2019 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी॰बी-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/-रूपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ॰ रिचा मित्तल को सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

के. वैंकटेसन, अवर सचिव

दिनांक 20 जनवरी 2021

सं. ए. 12025/387/2016-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ॰ शीतल विजय बांसोड़ को दिनांक 17 जनवरी, 2018 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी॰बी-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/-रूपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ॰ शीतल विजय बांसोड़ को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नागपुर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

के. वैंकटेसन, अवर सचिव

सं. ए. 12025/137/2019-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ॰ चौधरी विनोद पुखराज को दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी॰बी-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/-रूपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ॰ चौधरी विनोद पुखराज को एन. वी. बी. डी. सी. पी. दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

के. वैंकटेसन, अवर सचिव

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2020

सं. 12023/1/2019-प्रशासन-I—संघ लोक सेवा आयोग की दिनांक 23.09.2020 के पत्र सं. 3/35(12)/2020-एडीटी-2 के द्वारा की गई सिफारिशों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनको स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति श्री राजीव प्रताप दुबे, सहायक आयुक्त (मत्स्य बन्दरगाह) को दिनांक 09.10.2020 (पूर्वाह्न) से मत्स्यपालन विभाग में वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/-रुपये वेतन स्तर-12 के वेतनमान में नियमित आधार पर उपायुक्त (मत्स्य बन्दरगाह) के पद पर नियुक्त करते हैं।

खाम खान सुआन, अवर सचिव

दिनांक 17 दिसम्बर 2020

सं. 19015/1/2020-प्रशासन-I—कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14-12-2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/10/2020 सी.एस.-I (यू.) के अनुसरण में, राष्ट्रपति सुश्री सीमा चक्रवर्ती जो अनुभाग अधिकारी (जन्मतिथि:19-04-1963) सी.एस.एल. संख्या 10864, एस.ओ.एस.एल.-2011) के रूप में कार्यरत हैं, की नियुक्ति दिनांक 14-12-2020 (पूर्वाह्न) से वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (67,700-2,08,700/-रुपये) में इस विभाग में तदर्थ आधार पर श्रेणी-I (अवर सचिव) के रूप में करते हैं। तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30-06-2021 तक या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक या अगले आदेश के होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i) तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित न्यायालयिक मामलों के परिणाम के अधीन होगी:

क. माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिविल रिट याचिका सं. 13218/2019 में दिनांक 15-07-2011 के अंतिम निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका (सी.) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष टैग किए गए अन्य मामले।

ख. ऑल इंडिया इक्वैलिटी फोरम तथा अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य द्वारा दायर की गई रिट याचिका (सी.) संख्या 3490/2010 में दिनांक 23-08-2017 के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका (सी.) सं. 31288/2017 ।

ग. दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12-11-2018 के निर्णय के विरुद्ध एस.एन. जसरा और राजकुमार के बारे में विशेष अनुमति याचिका संख्या 5724-5725/2019।

घ. न्यायालय से जुड़ा कोई अन्य मामला।

ii) तदर्थ पदोन्नति अवर सचिव की श्रेणी में अनिश्चित काल तक बने रहने या इस श्रेणी में नियमित पदोन्नति के लिए चयन सूची में शामिल होने या इस श्रेणी में वरिष्ठता का दावा करने के लिए अधिकारियों को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

iii) तदर्थ पदोन्नति कोई कारण बताए बिना किसी समय समाप्त की जा सकेगी।

3. केन्द्रीय सचिवालय सेवा श्रेणी-I (अवर सचिव) के पद पर उपर्युक्त नियुक्ति की सेवा-शर्तें वही होंगी जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14-12-2020 के आदेश संख्या 5/10/2020-सी.एस.-I (यू.) में निहित हैं।

खाम खान सुआन, अवर सचिव

दिनांक 18 दिसम्बर 2020

सं. 19013/4/2019-प्रशासन-I—कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14-12-2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/2/2020 सी.एस.-II/ए. के अनुसरण में, राष्ट्रपति श्री कुश लाल शर्मा जो वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (सीनियर पी.पी.एस.) (जन्म तिथिः 12-07-1963) के रूप में कार्यरत हैं, की नियुक्ति दिनांक 14-12-2020 (अपराह्न) से वेतन मैट्रिक्स स्तर-13 (123100-215900/-रुपये) इस विभाग में तदर्थ आधार पर प्रधान स्टाफ अधिकारी के रूप में करते हैं। तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30-06-2021 तक या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक या अगले आदेश के होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः

i. तदर्थ पदोन्नति प्रधान स्टाफ अधिकारी की श्रेणी में अनिश्चित काल तक बने रहने या इस श्रेणी में नियमित पदोन्नति के लिए सूची में शामिल करने या इस श्रेणी में वरिष्ठता का दावा करने के लिए अधिकारियों को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

ii. तदर्थ पदोन्नति कोई कारण बताए बिना किसी समय समाप्त की जा सकेगी।

3. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.एस.) के प्रधान स्टाफ अधिकारी के पद पर उपर्युक्त तदर्थ निर्युक्त की सेवा-शर्तें वही होंगी जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14-12-2020 के आदेश संख्या1/2/2020-सी.एस.II/ए. में निहित हैं।

खाम खान सुआन, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2021

सं. 19014/2/2020-प्रशासन-I—कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.01.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/5/2020 सी.एस.-I (डी.) के अनुसरण में, राष्ट्रपति श्री दिबाकर मिश्रा जो ग्रेड-I अवर सचिव (जन्मतिथि:04-05-1961) सी.एस.एल. संख्या 6717) के रूप में कार्यरत हैं, की नियुक्ति दिनांक 08-01-2021 (पूर्वाह्न) से वेतन मैट्रिक्स स्तर-12(78,800-2,09,200 रुपये) में इस विभाग में तदर्थ आधार पर उप सचिव (प्रवरण ग्रेड) के रूप में करते हैं। तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30-06-2021 तक या नियमित आधार पर पद भरे जाने तक या अगले आदेश के होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i) तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित न्यायालयिक मामलों के परिणाम के अधीन होगी:

क. माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिविल रिट याचिका सं. 13218/2019 में दिनांक 15-07-2011 के अंतिम निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका (सी.) सं. 30621/2011 और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष टैग किए गए अन्य मामले।

ख. ऑल इंडिया इक्वैलिटी फोरम तथा अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य द्वारा दायर की गई रिट याचिका (सी.) संख्या 3490/2010 में दिनांक 23-08-2017 के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका (सी.) सं. 31288/2017 ।

ग. दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12-11-2018 के निर्णय के विरुद्ध एस.एन. जसरा और राजकुमार के बारे में विशेष अनुमति याचिका संख्या 5724-5725/2019

घ. न्यायालय से जुड़ा कोई अन्य मामला।

ii) तदर्थ पदोन्नति उप सचिव की श्रेणी में अनिश्चित काल तक बने रहने या इस श्रेणी में नियमित पदोन्नति के लिए चयन सूची में शामिल होने या इस श्रेणी में वरिष्ठता का दावा करने के लिए अधिकारियों को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

iii) तदर्थ पदोन्नति कोई कारण बताए बिना किसी समय समाप्त की जा सकेगी।

3. केन्द्रीय सचिवालय सेवा प्रवरण ग्रेड (उप सचिव) के पद पर उपर्युक्त नियुक्ति की सेवा-शर्तें वही होंगी जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08-01-2021 के आदेश संख्या 4/5/2020-सी.एस.-I (डी.) में निहित हैं।

खाम खान सुआन, अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग
(भारी पानी बोर्ड)

मुंबई-400094, दिनांक 17 अगस्त 2020

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)-कोटा/2020/2214—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्री प्रमोद कुमार नायक, सहायक (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7), भापअकें, मुंबई, को दिनांक 01.07.2020(पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 में भारी पानी संयंत्र (कोटा) में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते है।

सॅम्सन वर्गीस, मुख्य प्रशासन अधिकारी

दिनांक 28 अगस्त 2020

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)-तालचेर/2020/2332—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्री पंकज पहवारी प्रसाद, सहायक (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7), भापअकें, मुंबई, को दिनांक 16.06.2020(पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 में भारी पानी संयंत्र (तालचेर) में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते है।

सॅम्सन वर्गीस, मुख्य प्रशासन अधिकारी

दिनांक 1 सितम्बर 2020

सं. भापाबो/भर्ति/4(14)/2019/2328—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (कोटा/बड़ौदा/तुतीकोरिन/मणुगुरू) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई' (लेवल 12-वेतन मैट्रिक्स) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय/संयंत्र में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एफ' (लेवल 13-वेतन मैट्रिक्स) में नियुक्त करते हैं :

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	यूनिट	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	उल्लास कनुभाई पुरोहित	भापाबो (के.का.)	01.07.2019
2.	प्राण शंकर जोशी	भापासं (कोटा)	01.07.2019
3.	दिनेश चन्द्र शर्मा	भापासं (कोटा)	01.07.2019
4.	इन्द्रपाल सिंह तोमर	भापासं (कोटा)	01.07.2019
5.	राजेन्द्र प्रसाद राम	भापासं (कोटा)	01.07.2019
6.	दिलीप कुमार चटर्जी	भापासं (कोटा)	01.07.2019
7.	रामकृष्ण बिश्वाल	भापासं (बड़ौदा)	01.07.2019
8.	चोकलिंगम विवाकरण	भापासं (तुतीकोरिन)	01.07.2019
9.	पैडिपाटि अनंत वेंकट कृष्णा	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
10.	गडड्म सत्यनारायण रेड्डी	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
11.	निम्मगड्डा रवींद्रबाबु	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
12.	वेलगल मनोहर रेड्डी	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
13.	तेन्नेठी जानकी राम मुर्ती	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
14.	बी अनिल कुमार	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
15.	सी सेल्वाराज़	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
16.	सीएच कोटेश्वरा राव	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
17.	चिरंजीव खुंटिया	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
18.	श्रीधर एस गोंड	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

सॅम्सन वर्गीस, मुख्य प्रशासन अधिकारी

मुंबई-400094, दिनांक 20 फरवरी 2020

सं. /भापाबो/भर्ती/R/4(15)/2019/1033—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केंद्रीय कार्यालय) तथा भारी पानी संयंत्र (कोटा/बडौदा/तुतीकोरिन/मणुगुरू) के निम्नलिखित अधिकारियों को कॉलम सं. 4 में उनके नाम के सामने उल्लिखित पद एवं तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी संयंत्र में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। पदों का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन भी नीचे उल्लिखित किया गया है :

क्रम संख्या	नाम (श्री/श्रीमति/कु)	वर्तमान ग्रेड	समिति की संस्तुती	प्रभाग/एकक	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1	अजीत कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापाबो (के.का.)	01.07.2019
2	सत्याश्विनी शिवरामकृष्णन	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापाबो (के.का.)	01.07.2019
3	मोहित कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापासं (कोटा)	01.07.2019
4	कृष्ण मुरारी मीना	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापासं (कोटा)	01.07.2019
5	सांबशिवराव कनपर्ति	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापासं (बडौदा)	01.07.2019
6	राकेश शाण्डिल्य	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापासं (तुतीकोरिन)	01.07.2019
7	अर्चना डी रमेश	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापासं (तुतीकोरिन)	01.07.2019
8	मुनडयिल पिशारथ विनोद	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
9	नागुरनबि नूरबाषा	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
10	मुप्पिडि राजकुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
11	साहुकारि अविनाश	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
12	पसगडुगुला वेंकटकृष्णा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
13	करि तारकराम	तकनीकी अधिकारी/सी	तकनीकी अधिकारी/डी	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित निचले पद का पदभार सामने दर्शाई गई तारीख से छोड़ दिया है।

वेतन मैट्रिक्स में लेवल :

पद	वेतन मैट्रिक्स
वैज्ञानिक अधिकारी/ई	लेवल-12
वैज्ञानिक अधिकारी/डी/तकनीकी अधिकारी/डी	लेवल –11

एस. एस. गोंडाणे, प्रशासन अधिकारी-III

मुंबई-400094, दिनांक 23 अक्तूबर 2020

सं. भापाबो/भर्ती/2(5)/2020/3304—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने कॉलम सं. 4 में उल्लिखित भारी पानी बोर्ड/भारी पानी संयंत्रों में 01 अगस्त, 2020 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं 'सी' के रूप में अस्थाई रुप से नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	विषय	नियुक्ति का स्थान	संस्तुत वेतन-वृद्धियों की संख्या	आरंभिक वेतन रु. में (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 10)
	श्री/श्रीमती/कु.				
1.	वंशी अंबाला	रसायन	भापासं(मणुगूरु)	3	61300/-
2.	मट्टापल्ली संतोष	यांत्रिकी	भापासं(मणुगूरु)	3	61300/-
3.	रापोलु साईतेजा	विद्यत	भापासं (मणुगूरु)	2	59500/-
4.	वायलपल्लि प्रदीप	इन्स्ट्रमेंटेशन	भापासं (मणुगूरु)	2	59500/-
5.	आयुष जायसवाल	रसायन	भापासं(कोटा)	2	59500/-
6.	शशांक दीक्षित	यांत्रिकी	भापासं(तूतीकोरिन)	2	59500/-

जी सेल्वाकुमार, प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 3 नवम्बर 2020

सं. भापाबो/भर्ती/4(13)/2020/3309—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (कोटा/बडौदा/तुतीकोरिन/मणुगुरू) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एफ', (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय/संयंत्र में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'जी' (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13-क) में नियुक्त करते हैं :

क्र.सं.	अधिकारी का नाम सर्व/श्री	कार्यालय/संयंत्र	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	चिन्मय प्रसाद साहू	भापोबो (के.का)	01.07.2020
2.	गोपाल सिंह	भापासं (कोटा)	01.07.2020
3.	प्रमोद कुमार तिवारी	भापासं (कोटा)	01.07.2020
4.	अजय प्रताप लाल	भापासं (बडौदा)	01.07.2020
5.	दुरैसामी शेखर	भापासं (तुतीकोरिन)	01.07.2020
6.	चींचोली जगनाथ	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2020
7.	किलारु लक्ष्मन प्रसाद	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2020
8.	अवधानम राम मोहन	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2020
9.	के एस एन बाबु	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2020

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

जी सेल्वकुमार, प्रशासनिक अधिकारी-III

दिनांक 5 नवम्बर 2020

सं. भापाबो/HWB/भर्ती/1(15)-को/2020/3351—भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, श्री राल्लपल्लि विश्वनाधम, सहायक लेखा अधिकारी, क्रय भंडार निदेशालय, एच आर ए यु, हैदराबाद, को दिनांक 21/10/2020 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 9 में भारी पानी संयत्र, मणुगुरु में लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते है।

जी. सेल्वाकुमार, प्रशासनिक अधिकारी –III

दिनांक 9 नवम्बर 2020

सं. /भापाबो/भर्ती/R/4(31)/एसटीपीटी-टीओ-2018/3409—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केंद्रीय कार्यालय) के श्री गोबिन्द शर्मा, ड्राफ्ट्समैन/ई (वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10) को तकनीकी अधिकारी/सी के पद पर उसी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में दिनांक 1 जुलाई, 2019 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं ।

जी. सेल्वकुमार, प्रशासन अधिकारी –III

दिनांक 23 नवम्बर 2020

सं. /भापाबो/भर्ती/R/4(15)/2019/3604—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केंद्रीय कार्यालय) तथा भारी पानी संयंत्र (कोटा/बडौदा/तुतीकोरिन/तालचेर/मणुगुरू) के निम्नलिखित अधिकारियोंको कॉलम सं. 4 में उनके नाम के सामने उल्लिखित पद एवं तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी संयंत्र में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । पदों का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन भी नीचे उल्लिखित किया गया है :

क्रम संख्या	नाम (श्री/श्रीमति/कु/डॉ)	वर्तमान ग्रेड	समिति की संस्तुती	प्रभाग/एकक	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संदीप कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापाबो(के.का.)	01.07.2019

क्रम संख्या	नाम (श्री/श्रीमति/कु/डॉ)	वर्तमान ग्रेड	समिति की संस्तुती	प्रभाग/एकक	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	राकेश कुमार यादव	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापासं(कोटा)	01.07.2019
3	अवनीश पाण्डेय	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापासं(कोटा)	01.07.2019
4	ब्रजवीर सिंह	तकनिकी अधिकारी/डी	तकनिकी अधिकारी/ई	भापासं(कोटा)	01.07.2019
5	गंटाडी पवन कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापासं (बडौदा)	01.07.2019
6	एस कृष्णवेणी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापासं (तुतीकोरिन)	01.07.2019
7	कान्हु चरण नायक	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापासं (तालचेर)	01.07.2019
8	गडिडपाटी गौतम	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
9	सुशील कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
10	के रवि कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
11	आर ब्रंम्ह	तकनिकी अधिकरी/डी	तकनिकी अधिकारी/ई	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
12	क्षिरमणी ओडीया	स्टेशन अधिकारी/ए	स्टेशन अधिकारी/बी	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित निचले पद का पदभार सामने दर्शाई गई तारीख से छोड़ दिया है।

वेतन मैट्रिक्स में लेवल :

पद	वेतन मैट्रिक्स
वैज्ञानिक अधिकारी/ई/तकनीकी अधिकारी/ई	लेवल-12
स्टेशन अधिकारी/बी	लेवल –10

जी. सेल्वकुमार, प्रशासन अधिकारी –III

दिनांक 7 दिसम्बर 2020

सं. /भापाबो/भर्ती/R/4(15)/2019/3839—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी संयंत्र (कोटा/बडौदा/तुतीकोरिन/मणुगुरू) के निम्नलिखित अधिकारियोंको कॉलम सं. 4 में उनके नाम के सामने उल्लिखित पद एवं तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी संयंत्र में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। पदों का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन भी नीचे उल्लिखित किया गया है :

क्रम संख्या	नाम (श्री/श्रीमति/कु/डॉ)	वर्तमान ग्रेड	समिति की संस्तुती	प्रभाग/एकक	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अजय कुमार सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापासं(कोटा)	01.07.2019
2	बतुल शिव प्रसाद	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापासं (बडौदा)	01.07.2019
3	एन एलुमलाई	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापासं (तुतीकोरिन)	01.07.2019
4	अडबाल एदुकोन्डलु	तकनिकी अधिकारी/सी	तकनिकी अधिकारी/डी	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019
5	पदमलता पिरंगी	तकनिकी अधिकारी/सी	तकनिकी अधिकारी/डी	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2019

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित निचले पद का पदभार सामने दर्शाई गई तारीख से छोड़ दिया है।

वेतन मैट्रिक्स में लेवल :

पद	वेतन मैट्रिक्स
वैज्ञानिक अधिकारी/डी/तकनीकी अधिकारी/डी	लेवल-11

जी सेल्वकुमार, प्रशासन अधिकारी-III

दिनांक 10 दिसम्बर 2020

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)-मणुगुरु/2020/3903—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्रीमती अनिता वी. लक्षमणन, आशुलिपीक – II, (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6), बीएआरसीएफ, एनआरबी, कल्पाक्कम को दिनांक 16.11.2020 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 में भारी पानी संयंत्र (मणुगुरु) में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते है।

जी. सेल्वाकुमार, प्रशासनिक अधिकारी –III

दिनांक 5 जनवरी 2021

सं. भापाबो/भर्ती/4(13)/2020/45—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (कोटा/मणुगुरू) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एफ', (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय/संयंत्र में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'जी' (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13-क) में नियुक्त करते हैं :

क्र.सं.	अधिकारी का नाम सर्व/श्री	कार्यालय/संयंत्र	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	नीरज कुमार	भापोबो (के.का)	01.07.2020
2.	नरेन्द्र कुमार गहलोत	भापासं (कोटा)	01.07.2020
3.	कल्लि तिरूमल राव	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2020

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

जी. सेल्वकुमार, प्रशासनिक अधिकारी –III

सं. भापाबो/भर्ति/4(14)/2020/46—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (कोटा/बड़ौदा/तुतीकोरिन/मणुगुरू) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई' (लेवल 12-वेतन मैट्रिक्स) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय/संयंत्र में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एफ' (लेवल 13-वेतन मैट्रिक्स) में नियुक्त करते हैं :

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ.)	यूनिट	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	परिमल प्रभात	भापासं (बड़ौदा)	01.07.2020
2.	एस गोपाल्कृष्णन	भापासं (तुतीकोरिन)	01.07.2020
3.	आर गुरुमोहन	भापासं (तुतीकोरिन)	01.07.2020
4.	लैशराम बी सिंह	भापासं (तालचेर)	01.07.2020
5.	बिजयालक्षमी मिश्रा	भापासं (तालचेर)	01.07.2020
6.	एम रामांजनेयुलु	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2020
7.	राजु जयराम लोनपांडे	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2020

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

जी. सेल्वकुमार, प्रशासन अधिकारी –III

सं. /भापाबो/भर्ती/R/4(15)/2017/47—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी संयंत्र (बड़ौदा) के श्री दिलिपभाई मोहनलाल जयस्वाल, वैज्ञानिक अधिकारी/डी (वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11) को वैज्ञानिक अधिकारी/ई के पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में दिनांक 1 जुलाई, 2020 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी संयंत्र में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

जी. सेल्वकुमार, प्रशासन अधिकारी –III

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 18 जनवरी 2021

सं. पखनि-16/1/2018-भर्ती/122—निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्रीमती ललिता महेंद्र, सहायक लेखाकार (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई को आस्थाई हैसियत में दिनांक 21.12.2020 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक पश्चिमी क्षेत्र, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, जयपूर में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. अंजनी कुमार, मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2021

सं. 25/2021 (फा. सं. 2-12/9/2020-प्रशा.II)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्रीमती मीरा शेखर, निदेशक, विद्युत मंत्रालय, 31 जनवरी, 2021 के अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

हाउसुआनथांग गुईते, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 19th January 2021

No. A.22013/1(i)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 6/2/2020-CS-I(S) dated 24.12.2020 and in terms of Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32013/19/2020-Ad.I dated 04.01.2021, the President is pleased to appoint Shri Atul Kumar, Assistant Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to Section Officer grade on ad-hoc basis in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 24.12.2020 andup to 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2.Further, the ad hoc promotion is subject to the following conditions:

i. The ad hoc promotion will remain subject to outcome of:

   a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
   b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors and other related court cases in any competent court;
   c. Any other court case in a connected matter.

ii. The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointments or to claim seniority in the Section Officers' Grade of CSS or for promotion to the next higher grade or for grant of NFS.

iii. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without assigning any reason there-for.

iv. The exemption from mandatory training has been granted for ad-hoc promotions only. The Officers promoted on ad-hoc basis shall have to undergo Level "B" training programme as and when nominated by Department of Personnel & Training, unless they fall in the exempted category, before their regular promotions. Failure to do so may attract relevant provisions of CSS Rules 2009, and Regulations there-under and the Cadre Training Plan (CTP) for CSS Officers, including reversion to their substantive grade i.e. ASO grade.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

No. A.22013/1(ii)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 6/2/2020-CS-I(S) dated 24.12.2020 and in terms of Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32013/19/2020-Ad.I dated 04.01.2021, the President is pleased to appoint Shri Kumar Abhinaw, Assistant Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to Section Officer grade on ad-hoc basis in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 24.12.2020 andup to 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2.Further, the ad hoc promotion is subject to the following conditions:

i. The ad hoc promotion will remain subject to outcome of:

   a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

   b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors and other related court cases in any competent court;

   c. Any other court case in a connected matter.

ii. The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointments or to claim seniority in the Section Officers' Grade of CSS or for promotion to the next higher grade or for grant of NFS.

iii. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without assigning any reason there-for.

iv. The exemption from mandatory training has been granted for ad-hoc promotions only. The Officers promoted on ad-hoc basis shall have to undergo Level "B" training programme as and when nominated by Department of Personnel & Training, unless they fall in the exempted category, before their regular promotions. Failure to do

so may attract relevant provisions of CSS Rules 2009, and Regulations there-under and the Cadre Training Plan (CTP) for CSS Officers, including reversion to their substantive grade i.e. ASO grade.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

No. A.22013/1(iii)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 6/2/2020-CS-I(S) dated 24.12.2020 and in terms of Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32013/19/2020-Ad.I dated 04.01.2021, the President is pleased to appoint Shri Ugrasen Kumar, Assistant Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to Section Officer grade on ad-hoc basis in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 24.12.2020 andup to 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2.Further, the ad hoc promotion is subject to the following conditions:

i. The ad hoc promotion will remain subject to outcome of:

   a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
   b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors and other related court cases in any competent court;
   c. Any other court case in a connected matter.

ii. The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointments or to claim seniority in the Section Officers' Grade of CSS or for promotion to the next higher grade or for grant of NFS.

iii. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without assigning any reason there-for.

iv. The exemption from mandatory training has been granted for ad-hoc promotions only. The Officers promoted on ad-hoc basis shall have to undergo Level "B" training programme as and when nominated by Department of Personnel & Training, unless they fall in the exempted category, before their regular promotions. Failure to do so may attract relevant provisions of CSS Rules 2009, and Regulations there-under and the Cadre Training Plan (CTP) for CSS Officers, including reversion to their substantive grade i.e. ASO grade.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

No. A.22013/1(iv)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 6/2/2020-CS-I(S) dated 24.12.2020 and in terms of Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32013/19/2020-Ad.I dated 04.01.2021, the President is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Meena, Assistant Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to Section Officer grade on ad-hoc basis in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 24.12.2020 andup to 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2.Further, the ad hoc promotion is subject to the following conditions:

i. The ad hoc promotion will remain subject to outcome of:

   a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

   b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors and other related court cases in any competent court;

   c. Any other court case in a connected matter.

ii. The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointments or to claim seniority in the Section Officers' Grade of CSS or for promotion to the next higher grade or for grant of NFS.

iii. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without assigning any reason there-for.

iv. The exemption from mandatory training has been granted for ad-hoc promotions only. The Officers promoted on ad-hoc basis shall have to undergo Level "B" training programme as and when nominated by Department of Personnel & Training, unless they fall in the exempted category, before their regular promotions. Failure to do so may attract relevant provisions of CSS Rules 2009, and Regulations there-under and the Cadre Training Plan (CTP) for CSS Officers, including reversion to their substantive grade i.e. ASO grade.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

No. A.22013/1(v)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 6/2/2020-CS-I(S) dated 24.12.2020 and in terms of Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32013/19/2020-Ad.I dated 04.01.2021, the President is pleased to appoint Shri Hemant Sharma, Assistant Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to Section Officer grade on ad-hoc basis in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 24.12.2020 andup to 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. Further, the ad hoc promotion is subject to the following conditions:

i. The ad hoc promotion will remain subject to outcome of:

   a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
   b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors and other related court cases in any competent court;
   c. Any other court case in a connected matter.

ii. The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointments or to claim seniority in the Section Officers' Grade of CSS or for promotion to the next higher grade or for grant of NFS.

iii. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without assigning any reason there-for.

iv. The exemption from mandatory training has been granted for ad-hoc promotions only. The Officers promoted on ad-hoc basis shall have to undergo Level "B" training programme as and when nominated by Department of Personnel & Training, unless they fall in the exempted category, before their regular promotions. Failure to do so may attract relevant provisions of CSS Rules 2009, and Regulations there-under and the Cadre Training Plan (CTP) for CSS Officers, including reversion to their substantive grade i.e. ASO grade.

CHIRAG M. P,NCHAL, Under Secretary

No. A.22013/1(vi)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 6/2/2020-CS-I(S) dated 24.12.2020 and in terms of Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32013/19/2020-Ad.I dated 04.01.2021, the President is pleased to appoint Shri Vivek Prakash, Assistant Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to Section Officer grade on ad-hoc basis in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 24.12.2020 andup to 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. Further, the ad hoc promotion is subject to the following conditions:

i. The ad hoc promotion will remain subject to outcome of:

   a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
   b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors and other related court cases in any competent court;
   c. Any other court case in a connected matter.

ii. The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointments or to claim seniority in the Section Officers' Grade of CSS or for promotion to the next higher grade or for grant of NFS.

iii. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without assigning any reason there-for.

iv. The exemption from mandatory training has been granted for ad-hoc promotions only. The Officers promoted on ad-hoc basis shall have to undergo Level "B" training programme as and when nominated by Department of Personnel & Training, unless they fall in the exempted category, before their regular promotions. Failure to do so may attract relevant provisions of CSS Rules 2009, and Regulations there-under and the Cadre Training Plan (CTP) for CSS Officers, including reversion to their substantive grade i.e. ASO grade.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

No. A.22013/1(vii)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 6/2/2020-CS-I(S) dated 24.12.2020 and in terms of Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32013/19/2020-Ad.I dated 04.01.2021, the President is pleased to appoint Shri Chandan Kumar, Assistant Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to Section Officer grade on ad-hoc basis in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 24.12.2020 andup to 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. Further, the ad hoc promotion is subject to the following conditions:

i. The ad hoc promotion will remain subject to outcome of:

a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors and other related court cases in any competent court;

c. Any other court case in a connected matter.

ii. The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointments or to claim seniority in the Section Officers' Grade of CSS or for promotion to the next higher grade or for grant of NFS.

iii. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without assigning any reason there-for.

iv. The exemption from mandatory training has been granted for ad-hoc promotions only. The Officers promoted on ad-hoc basis shall have to undergo Level "B" training programme as and when nominated by Department of Personnel & Training, unless they fall in the exempted category, before their regular promotions. Failure to do so may attract relevant provisions of CSS Rules 2009, and Regulations there-under and the Cadre Training Plan (CTP) for CSS Officers, including reversion to their substantive grade i.e. ASO grade.

CHIRAG M. PANCHAL, Under Secretary

No. A.22013/1(viii)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 6/2/2020-CS-I(S) dated 24.12.2020 and in terms of Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32013/19/2020-Ad.I dated 04.01.2021, the President is pleased to appoint Shri Vinod Kumar Rawat, Assistant Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to Section Officer grade on ad-hoc basis in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 24.12.2020 andup to 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. Further, the ad hoc promotion is subject to the following conditions:

i. The ad hoc promotion will remain subject to outcome of:

a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors and other related court cases in any competent court;

c. Any other court case in a connected matter.

ii. The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointments or to claim seniority in the Section Officers' Grade of CSS or for promotion to the next higher grade or for grant of NFS.

iii. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without assigning any reason there-for.

iv. The exemption from mandatory training has been granted for ad-hoc promotions only. The Officers promoted on ad-hoc basis shall have to undergo Level "B" training programme as and when nominated by Department of Personnel & Training, unless they fall in the exempted category, before their regular promotions. Failure to do so may attract relevant provisions of CSS Rules 2009, and Regulations there-under and the Cadre Training Plan (CTP) for CSS Officers, including reversion to their substantive grade i.e. ASO grade.

CHIRAG M. PANCHAL
Under Secretary

No. A.22013/1(ix)/2020-PME—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 6/2/2020-CS-I(S) dated 24.12.2020 and in terms of Ministry of Home Affairs' Office Order No. A-32013/19/2020-Ad.I dated 04.01.2021, the President is pleased to appoint Shri Lokendra Oriya, Assistant Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to Section Officer grade on ad-hoc basis in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 24.12.2020 andup to 30.06.2021 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. Further, the ad hoc promotion is subject to the following conditions:

i. The ad hoc promotion will remain subject to outcome of:

a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;

b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP (C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UOI & Ors and other related court cases in any competent court;

c. Any other court case in a connected matter.

ii. The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointments or to claim seniority in the Section Officers' Grade of CSS or for promotion to the next higher grade or for grant of NFS.

iii. The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without assigning any reason there-for.

iv. The exemption from mandatory training has been granted for ad-hoc promotions only. The Officers promoted on ad-hoc basis shall have to undergo Level "B" training programme as and when nominated by Department of Personnel & Training, unless they fall in the exempted category, before their regular promotions. Failure to do so may attract relevant provisions of CSS Rules 2009, and Regulations there-under and the Cadre Training Plan (CTP) for CSS Officers, including reversion to their substantive grade i.e. ASO grade.

CHIRAG M. PANCHAL
Under Secretary

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 31st January 2021

No. RS/12/35/2020-Estt.(G)—Consequent upon the acceptance of his request for voluntary retirement, Shri Raghavendra Rao, Joint Director (E&T), stands retired from service under Rule 48-A of the CCS (Pension) Rules, 1972, with effect from the afternoon of 31st January, 2021.

NARENDRA KUMAR, Additional Director

The1st February 2021

No. RS/12/40/2020-Estt.(G)—Consequent upon the acceptance of her request for voluntary retirement, Smt. Umadevi N., Executive Officer (in-situ), stands retired from service under Rule 48-A of the CCS (Pension) Rules, 1972, with effect from the afternoon of 31st January, 2021.

NARENDRA KUMAR, Additional DiRECTOR

No. RS/12/43/2020-Estt.(G)—Consequent upon the acceptance of his request for voluntary retirement, Shri Joe Mathew, Director (I), stands retired from service under Rule 48-A of the CCS (Pension) Rules, 1972, with effect from the afternoon of 29th January, 2021.

NARENDRA KUMAR, Additional DiRECTOR

MINISTRY OF LAW &JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the19th January 2021

No. A-32012/2/2020-Admn.I(LA)—The President is pleased to appoint Dr. Raghvendra Singh Shrinet, Assistant Legal Adviser (Grade-IV of Legal Advisers' Service Cadre of the Indian Legal Service) to the grade of Deputy Legal Adviser (Grade-III of Legal Advisers' Service Cadre of the Indian Legal Service) in the level 12 of Pay Matrix in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, with effect from the forenoon of 14.01.2021.

A.K. JOSHI, Director

The20th January 2021

No. A-32012/1/2020-Admn.I(LA)—The President is pleased to appoint Shri Amrish Kumar, Assistant Government Advocate (Grade-IV of Government Advocates' Service Cadre of the Indian Legal Service) to the grade of Deputy Government Advocate (Grade-III of Government Advocates' Service Cadre of the Indian Legal Service) in the level 12 of Pay Matrix in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, with effect from the forenoon of 18.01.2021.

A.K. JOSHI, Director

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-01, the25thJanuary 2021

No. I-18011/09/2019-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President of India is pleased to confirm Shri Ajay Singh, IPS (MP:2013), in the Indian Police Service with effect from 02.09.2015.

A. K. SARAN, Director (Police)

New Delhi-110001, the14thJanuary 2021

No.-I-14012/18/2019.IPS(IV)—Consequent upon their selection for appointment to Indian Administrative Service on the basis of their qualifying Civil Services Examination, 2019, the President is pleased to accept technical resignation of the following IPS Probationers of 2018 and 2019 Batches from Indian Police Service who were appointed to the Indian Police Service on the basis of the Civil Services Examination, 2017 and 2018 without lien with effect from dates mentioned against jtheir names below:—

Sl No.	Name of IPS Probationer Ms/S/Shri	Cadre	Batch	AIS in which selected for	Date of acceptance of Technical Resignation
1	2	3	4	5	6
1.	Ajay Kumar Gautam	Madhya Pradesh	2019	Indian Administrative Service	09/10/2020(AN)
2.	Mayank Mittal	Rajasthan	2019	Indian Administrative Service	09/10/2020(AN)

1	2	3	4	5	6
3.	Nikas Kumar	Manipur	2019	Indian Administrative Service	09/10/2020(AN)
4.	Patil Yogesh Ashokrao	Manipur	2019	Indian Administrative Service	09/10/2020(AN)
5.	AranyakSaikia	Karnataka	2018	Indian Administrative Service	09/10/2020(AN)
6.	Hemanth N	Tripura	2019	Indian Administrative Service	09/10/2020(AN)
7.	Apurv Chauhan	AGMUT	2019	Indian Administrative Service	08/10/2020(AN)

ANJAN SARKAR, Under Secretary

———————

The 20th January 2021

No. I-11014/15/2015-IPS.IV—In exercise of powers conferred under Sub-Rule (2) of Rule 5 of Indian Police Service (Cadre) Rules-1954, and with the concurrence of the Government of Odisha and Government of Punjab, the Central Government hereby transfers Ms. Saumya Mishra, IPS (OD:2014) from Odisha Cadre to Punjab Cadre on the grounds of her marriage with Shri Deepak Pareek, IPS (PB:2014).

ANJAN SARKAR, Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE &INDUSTRY
(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER)

New Delhi, the 18th Janaury 2021

No. A-38013/1/2020-Ec.Ad.(Admn.I)—on attaing the age of superannuation, Shri Naresh Bali,SectionOfficer in theOffice ofthe Economic Adviser, Department for PromotionofIndustryand Internal Trade, Ministryof Commerce & Industry shall stand retired from the Government service with effect from 31st January, 2021 (A.N.).

MEENAXI RAWAT, Economic Adviser

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES
(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 5th January 2021

No. A-19011/281/2021-Admn.—Consequent upon promotion cum postingfrom Ministry of Coal to the Department of Public Enterprises vide Department of Economic Affairs' Order No. 13016/1/2020-IES dated 19th December, 2020, the President ispleased toappoint Sh. ShankerLal (IES: 2016) as Dy. Director in Level-11 of pay Matrix (Rs. 67,700—2,08,700/-) in the Department of Public Enterprises, Ministryof Heavy Industries and Public Enterprises w.e.f. forenoon of 1st January, 2021.

NARESH KUMAR, Under Secretary (Admn.)

———————

No. A-19011/282/2021-Admn.—Consequent upon promotion cum posting from GST Audit Commissionerate Kochi to the Department of Public Enterprises videOffice of Chief Adviser Cost's Order No. A-22012/1/2020-CAC dated 24th December, 2020, the President is pleased toappoint Sh. RohinKoppuravuri as Dy. Director (Cost) Level-11 of pay Matrix (Rs. 67,700—2,08,700/-) in the Department of Public Enterpirses, Ministryof Heavy Industry and Public Enterprises w.e.f. forenoonf 1st January, 2021.

NARESH KUMAR, Under Secretary (Aadmn.)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110 011, the 19th January 2021

No.A.12025/279/2016-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Abhishek Thakur to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the Forenoon of 29th October, 2019 until further orders. Dr. Abhishek Thakur is posted as Medical Officer under Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi. He will be on probation for a period of two years.

K. VENKATESAN, Under Secretary

No.A.12025/23/2017-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Asha Benazir M. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01st May, 2017 until further orders. Dr. Asha Benazir M. is posted as Medical Officer under CGHS, Chennai.

K. VENKATESAN, Under Secretary

No.A.12025/126/2017-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Varun Agarwal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the Forenoon of 26th February, 2020 until further orders. Dr. Varun Agarwal is posted as Medical Officer under Safdarjung Hospital, Delhi. He will be on probation for a period of two years.

K. VENKATESAN, Under Secretary

No.A.12025/267/2017-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ashish Kumar Yadav to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 22nd October, 2017 until further orders. Dr. Ashish Kumar Yadav is posted as Medical Officer under CGHS Delhi.

K. VENKATESAN, Under Secretary

No.A.12025/295/2017-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. KonkalaSudha Kiran to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 22nd October, 2017 until further orders. Dr. KonkalaSudha Kiranis posted as Medical Officer under Ministry of Labour, (LWO, Hyderabad).

K. VENKATESAN, Under Secretary

No.A.12025/41/2019-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Richa Mittal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the Forenoon of 27th September, 2019 until further orders. Dr. Richa Mittal is posted as Medical Officer under Safdarjung Hospital, Delhi. She will be on probation for a period of two years.

K. VENKATESAN, Under Secretary

The 20th January 2021

No.A.12025/387/2016-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sheetal Vijay Bansod to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 17th January, 2018 until further orders. Dr. Sheetal Vijay Bansod is posted as Medical Officer under CGHS Nagpur.

K. VENKATESAN, Under Secretary

No.A.12025/137/2019-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Choudhary Vinod Pukharaj to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 10th October, 2019 until further orders. Dr. Choudhary Vinod Pukharaj is posted as Medical Officer under NVBDCP, Delhi. He will be on probation for a period of two years.

K. VENKATESAN, Under Secretary

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
(DEPARTMENT OF FISHERIES)

New Delhi, the 15th December 2020

No. 12023/1/2019-Admn-I—Consequent upon the recommendations of the UPSC vide letter No. 3/35(12)/2020-ADT-2 dated 23.09.2020 and acceptance thereof by the Competent Authority, the President is pleased to appoint Shri Rajiv Pratap Dubey, Assistant Commissioner (Fishing Harbour) to the post of Deputy Commissioner (Fishing Harbour) in Level-12 of pay matrix Rs. 78800-209200 on regular basis in the Department of Fisheries w.e.f 09.10.2020 (FN).

KHAM KHAN SUAN, Under Secretary

———————

The17th December 2020

No.19015/1/2020-Admn-I—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M No. 5/10/2020-CS.I(U) dated 14.12.2020, the President is pleased to appoint Ms. SheemaChakrabarty, Section Officer [D.o.B: 19.04.1963, CSL No. 10864, SOSL-2011] as Grade-I (Under Secretary) on adhoc basis in this Department in the Pay Matrix Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) w.e.f 14.12.2020(FN). The period of ad-hoc promotion will be upto 30.06.2021 or till the posts are filled on regular basis, or until further orders, whichever is earliest.

2. The 'ad-hoc' promotion is subject to the following conditions:

i. The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:

   a. The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;

   b. The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court Judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. Uol&Ors.

   c. The SLP Nos.5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra& Raj Kumar against Delhi High Court's judgement dated 12.11.2018.

   d. Any other connected court matter.

ii. The ad hoc promotions shall not confer any right on the officers to continue in the grade of Under Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.

iii. The ad hoc promotions may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

3.Other terms and conditions of above appointment to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service on ad-hoc basis will be same as contained in the Department of Personnel and Training's Order No. 5/10/2020-CS.I(U) dated 14.12.2020.

KHAM KHAN SUAN, Under Secretary

———————

The18th December 2020

No.19013/4/2019-Admn-I—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M No.1/2/2020-CS.II/A dated 14.12.2020, the President is pleased to appoint Shri Kush Lal Sharma, Sr. Principal Private Secretary (Sr. PPS) [D.o.B: 12.07.1963] as Principal Staff Officer on adhoc basis in this Department in the Pay Matrix Level-13 (Rs. 123100-215900) w.e.f 14.12.2020(AN). The period of ad-hoc promotion will be upto 30.06.2021 or till the posts are filled on regular basis, or until further orders, whichever is earliest.

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions:

i. The ad hoc promotions shall not confer any right on the officers to continue in the grade of Principal Staff Officer indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.

ii. The ad hoc promotions may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

3.Other terms and conditions of above appointment to the Principal Staff Officers' Grade in Central Secretariat Stenographers' Service(CSSS) on ad-hoc basis will be same as contained in the Department of Personnel and Training's Order No. 1/2/2020-CS.II A dated 14.12.2020.

KHAM KHAN SUAN, Under Secretary

The 15th January 2021

No.19014/2/2020-Admn-I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 4/5/2020-CS1 (D) dated 08.01.2021, the President is pleased to appoint Shri Dibakar Mishra, Grade-I(Under Secretary) [D.O.B: 04.05.1961, CSL N. 6717] as (Deputy Secretary) Selection Gradeon ad-hoc basis in this Department in the Pay Matrix Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) w.e.f 08.01.2021(AN). The period of ad-hoc promotion will be upto 30.06.2021 or till the posts are filled on regular basis, or until further orders, whichever is earliest.

2. The 'ad-hoc' promotion is subject to the following conditions:

i) The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:

(a) The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;

(b) The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court Judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. Uol&Ors.

(c) The SLP Nos.5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra& Raj Kumar against Delhi High Court's judgement dated 12.11.2018.

(d) Any other connected court matter.

ii) The ad hoc promotions shall not confer any right on the officers to continue in the grade of Deputy Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.

iii) The ad hoc promotions may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

3.Other terms and conditions of above appointment to the Selection Grade(Deputy Secretary) of Central Secretariat Service on ad-hoc basis will be same as contained in the Department of Personnel and Training's Order 4/5/2020-CS1 (D) dated 08.01.2021.

KHAM KHAN SUAN, Under Secretary

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(HEAVY WATER BOARD)

Mumbai-400 094, the 17th August 2020

No. HWB/R/1(8)-Kota/2020/2214—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri. Pramod Kumar Nayak, Assistant (Level 7 of pay matrix), BARC, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in Level 8 of Pay Matrix in Heavy Water Plant (Kota) from the forenoon of 01.07.2020 until further orders.

SAMSON VARGHESE, ChiefAdministrative Officer

The 28th August 2020

No. HWB/R/1(8)-Tal/2020/2332—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri. Pankaj Pahawari Prasad, Assistant (Level 7 of pay matrix), BARC, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in Level 8 of Pay Matrix in Heavy Water Plant (Talcher) from the forenoon of 16.06.2020 until further orders.

SAMSON VARGHESE, ChiefAdministrative Officer

The 1st September 2020

No. HWB/R/4(14)/2019/2328—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers Grade `E' (Level 12 in Pay Matrix) of Heavy Water Board (Central Office) / HeavyWaterPlant (Kota/Baroda/Tuticorin /Manuguru) as Scientific Officer/Engineer Grade `F' in the Level 13 in Pay Matrix with effect from the forenoon of the date mentioned against each in the same office/plant until further order :—

SR.NO.	NAME S/SHRI	DIVISION/UNIT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
1.	ULLAS KANUBHAI PUROHIT	HWB (CENTRAL OFFICE)	01.07.2019
2.	PRAN SHANKER JOSHI	HWP(KOTA)	01.07.2019
3.	DINESH CHANDRA SHARMA	HWP(KOTA)	01.07.2019
4.	INDRAPAL SINGH TOMER	HWP(KOTA)	01.07.2019
5.	RAJENDER PRASAD RAM	HWP(KOTA)	01.07.2019
6.	DILIP KUMAR CHATTERJEE	HWP(KOTA)	01.07.2019
7.	RAMA KRISHNA BISWAL	HWP(BARODA)	01.07.2019
8.	CHOCKALINGAM VIVAKARAN	HWP(TUTICORIN)	01.07.2019
9.	PYDIPATY ANANTHA VENKATA KRISHNA	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
10.	GADDAM SATYANARAYANA REDDY	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
11.	NIMMAGADDA RAVEENDRA BABU	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
12.	VELAGALA MANOHARA REDDY	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
13.	TENNETI JANAKI RAMAMURTHY	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
14.	B ANIL KUMAR	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
15.	C SELVARAJ	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
16.	CH. KOTESWARA RAO	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
17.	CHIRANJEEB KHUNTIA	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
18.	SHREEDHARA S GOND	HWP(MANUGURU)	01.07.2019

The above Officers relinquished the charge of lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

SAMSON VARGHESE, Chief Administrative Officer

Mumbai–400 094, the 20th February 2020

No. HWB/R/4(15)/2019/1033—The President is pleased to appoint the following Officers of Heavy Water Board(Central Office) & Heavy Water Plant (Kota/Baroda/Tuticorin/Manuguru)to the post indicated against each with effectfromtheforenoonofdatementionedagainsteachinthesameoffice/plant in a temporary capacity until further orders.The Level in the Pay Matrix of the promoted posts are also indicated below :—

SL. NO.	NAME (SHRI / SMT / KUM / DR)	PRESENT GRADE	RECOMM-ENDATION OF COMMITTEE	DIVISION/ UNIT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
1	AJIT KUMAR	SO/D	SO/E	HWB(CO)	01.07.2019
2	SATYASHWINI SIVARAMAKRISHNAN	SO/D	SO/E	HWB(CO)	01.07.2019
3	MOHIT KUMAR	SO/D	SO/E	HWP(KOTA)	01.07.2019

SL. NO.	NAME (SHRI / SMT / KUM / DR)	PRESENT GRADE	RECOMM-ENDATION OF COMMITTEE	DIVISION/ UNIT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
4	KRISHAN MURARI MEENA	SO/D	SO/E	HWP(KOTA)	01.07.2019
5	SAMBASIVARAO KANAPARTHI	SO/D	SO/E	HWP(BARODA)	01.07.2019
6	RAKESH SHANDILYA	SO/C	SO/D	HWP(TUTICORIN)	01.07.2019
7	ARCHANA D RAMESH	SO/C	SO/D	HWP(TUTICORIN)	01.07.2019
8	MUNDAYIL PISHARATH VINOD	SO/D	SO/E	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
9	MUPPIDI RAJKUMAR	SO/D	SO/E	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
10	NAGURNABI NOORBASHA	SO/D	SO/E	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
11	SAHUKARI AVINASH	SO/C	SO/D	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
12	PASAGADUGULA VENKATA KRISHNA	SO/C	SO/D	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
13	KARRI TARAKARAM	TO/C	TO/D	HWP(MANUGURU)	01.07.2019

The above Officers relinquished charge of the lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

Level in the Pay Matrix :

Post	Pay Matrix
Scientific Officer/E	Level - 12
Scientific Officer/D / Technical Officer/D	Level – 11

S.S. GONDANE, Administrative Officer –III

Mumbai-400 094, the 23rd October 2020

No.HWB/R/2(5)/2020/3304—The President is pleased to appoint the following persons as Scientific Officers/Engineers Grade 'C' in Level 10 of the Pay matrix in Heavy Water Board/ Heavy Water Plants mentioned against each at column No.4 from the forenoon of August 01, 2020 in a temporary capacity until further orders:—

Sr. No.	Name	Discipline	Place of Appointment	No. of increments recommended	Initial pay in Rs. (Level 10 in the pay matrix)
1	2	3	4	5	6
	Shri/Smt/Kum				
1.	Vamsi Ambala	Chemical	HWP(Manuguru)	3	61300/-
2.	Mattapally Santhosh	Mechanical	HWP(Manuguru)	3	61300/-
3.	RapoluSaiteja	Electrical	HWP(Manuguru)	2	59500/-
4.	Vayalapalli Pradeep	Instrumentation	HWP(Manuguru)	2	59500/-
5.	Ayush Jaiswal	Mechanical	HWP(Kota)	2	59500/-
6.	Shashank Dixit	Mechanical	HWP(Tuticorin)	2	59500/-

G. SELVAKUMAR, Administrative Officer-III

The 3rd November 2020

No. HWB/R/4(13)/2020/3309—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers Grade `F' (Level 13 in Pay Matrix) of Heavy Water Board (Central Office) / Heavy Water Plant (Kota/Baroda/Tuticorin/Manuguru) asScientificOfficer / EngineerGrade`G' (Level 13A in Pay matrix)with effect from the forenoon of the date mentioned against each in the same plant until further orders :—

SR. NO.	NAME S/Shri	OFFICE/PLANT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
1.	CHINMAYA PRASAD SAHOO	HWB(CENTRAL OFFICE)	01.07.2020
2.	GOPAL SINGH	HWP(KOTA)	01.07.2020
3.	PRAMOD KUMAR TIWARI	HWP(KOTA0	01.07.2020
4.	AJAIPRATAP LAL	HWP(BARODA)	01.07.2020
5.	DURAISAMY SEKAR	HWP(TUTICORIN)	01.07.2020
6.	CHINCHOLY JAGANATH	HWP(MANUGURU)	01.07.2020
7.	KILARU LAXMANA PRASAD	HWP(MANUGURU)	01.07.2020
8.	AVADHANAM RAMA MOHAN	HWP(MANUGURU)	01.07.2020
9.	K S N BABU	HWP(MANUGURU)	01.07.2020

The above Officers relinquished the charge of lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

G. SELVAKUMAR, Administrative Officer-III

The 5th November 2020

No. HWB/R/1(15)-Manuguru/2020/3351—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Rallapalli Viswanadham, Assistant Accounts Officer, DPS, HRAU, Hyderabad to officiate as Accounts Officer in Pay Level 9 in the pay matrix in Heavy Water Plant, Manuguru, from the forenoon of 21/10/2020 until further orders.

G. SELVAKUMAR, Administrative Officer-III

The 9th November 2020

No. HWB/R/4(31)/STPT-TO-2018/3409—The President is pleased to appoint Shri Gobind Sharma, Draughtsman/E(Level 10 of Pay Matrix), Heavy Water Board(Central Office) as Technical Officer/C in the same Level of Pay Matrix with effect from the forenoon of July 1st, 2019 until further orders in the same office in a temporary capacity.

G. SELVAKUMAR, Administrative Officer-III

The 23rd November 2020

No. HWB/R/4(15)/2019/3604—The President is pleased to appoint the following Officers of Heavy Water Board(Central Office) & Heavy Water Plant (Kota / Baroda / Tuticorin / Talcher / Manuguru)to the post indicated in Column 4 below with effectfromtheforenoonofdatementionedagainsteachinthesameoffice/plant in a temporary capacity until further orders.The Level in the Pay Matrix of the promoted posts are also indicated below :—

SL. NO.	NAME (SHRI/SMT/KUM/DR)	PRESENT GRADE	RECOMM-ENDATION OF COMMI-TTEE	DIVISION/ UNIT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SANDEEP KUMAR	SO/D	SO/E	HWB(CO)	01.07.2019
2	RAKESH KUMAR YADAV	SO/D	SO/E	HWP(KOTA)	01.07.2019
3	AVANISH PANDEY	SO/D	SO/E	HWP(KOTA)	01.07.2019
4	BRAJ VEER SINGH	TO/D	TO/E	HWP(KOTA)	01.07.2019

SL. NO.	NAME (SHRI/SMT/KUM/DR)	PRESENT GRADE	RECOMM-ENDATION OF COMMI-TTEE	DIVISION/ UNIT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	GANTADI PAVAN KUMAR	SO/D	SO/E	HWP(BARODA)	01.07.2019
6	S KRISHNAVENI	SO/D	SO/E	HWP(TUTICORIN)	01.07.2019
7	KANHU CHARAN NAYAK	SO/D	SO/E	HWP(TALCHER)	01.07.2019
8	GADDIPATI GAUTAM	SO/D	SO/E	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
9	SUSHIL KUMAR	SO/D	SO/E	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
10	K RAVI KUMAR	SO/D	SO/E	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
11	R BRAHMAM	TO/D	TO/E	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
12	KSHIRAMANI ODIYA	STATION OFFICER/A	STATION OFFICER/B	HWP(MANUGURU)	01.07.2019

The above Officers relinquished charge of the lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

Level in the Pay Matrix :

Post	Pay Matrix
Scientific Officer/E / Technical Officer/E	Level - 12
Station Officer/B	Level - 10

G. SELVAKUMAR, Administrative Officer-III

_____

The 7th December 2020

No.HWB/R/4(15)/2019/3839—The President is pleased to appoint the following Officers of Heavy Water Plant (Kota/Baroda/Tuticorin/Manuguru)to the post indicated in Column 4 below with effectfromtheforenoonofdatementionedagainsteachinthesame plant in a temporary capacity until further orders.The Level in the Pay Matrix of the promoted posts are also indicated below :—

SL. NO.	NAME (SHRI/SMT/KUM/DR)	PRESENT GRADE	RECOMM-ENDATION OF COMMI-TTEE	DIVISION/ UNIT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	AJAY KUMAR SINGH	SO/C	SO/D	HWP(KOTA)	01.07.2019
2	BATHULA SIVA PRASAD	SO/C	SO/D	HWP(BARODA)	01.07.2019
3	N ELUMALAI	SO/C	SO/D	HWP(TUTICORIN)	01.07.2019
4	ADABALA YEDUKONDALU	TO/C	TO/D	HWP(MANUGURU)	01.07.2019
5	PADMALATHA PIRANGI	TO/C	TO/D	HWP(MANUGURU)	01.07.2019

The above Officers relinquished charge of the lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

Level in the Pay Matrix :

Post	Pay Matrix
Scientific Officer/D / Technical Officer/D	Level - 11

G. SELVAKUMAR, Administrative Officer-III

The 10th December 2020

No. HWB/R/1(8)-Manuguru/2020/3903—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Smt. Anitha V. Lakshmanan, Stenographer Gr. – II (Level 6 of pay matrix) BARCF, NRB, Kalpakkam as Assistant Personnel Officer in Level 8 of Pay Matrix in Heavy Water Plant (Manuguru) from the forenoon of 16.11.2020 until further orders.

G. SELVAKUMAR, Administrative Officer-III

The 5th January 2021

No. HWB/R/4(13)/2020/45—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers Grade `F' (Level 13 in Pay Matrix) of Heavy Water Board (Central Office) & Heavy Water Plant (Kota/Manuguru) asScientificOfficer / EngineerGrade`G' (Level 13A in Pay matrix)witheffectfromtheforenoon ofthedatementionedagainsteachinthesameplant until further orders :—

SR. NO.	NAME S/Shri	OFFICE/PLANT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
1	NIRAJ KUMAR	HWB(CENTRAL OFFICE)	01.07.2020
2	NARENDRA KUMAR GAHLOT	HWP(KOTA)	01.07.2020
3	KALLI TIRUMALA RAO	HWP(MANUGURU)	01.07.2020

The above Officers relinquished the charge of lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

G. SELVAKUMAR, Administrative Officer-III

No. HWB/R/4(14)/2020/46—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers Grade `E' (Level 12 in Pay Matrix) of HeavyWaterPlant (Baroda/Tuticorin/Talcher/Manuguru) as Scientific Officer/Engineer Grade `F' in the Level 13 in Pay Matrix with effect from the forenoon of the date mentioned against each in the same office/plant until further order :—

SR. NO.	NAME SHRI/SMT./KUM./DR.	DIVISION/ UNIT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
1	PARIMAL PRABHAT	HWP(BARODA)	01.07.2020
2	S GOPALKRISHNAN	HWP(TUTICORIN)	01.07.2020
3	R GURUMOHAN	HWP(TUTICORIN)	01.07.2020
4	LAISHRAM B SINGH	HWP(TALCHER)	01.07.2020
5	BIJAYALAXMI MISHRA	HWP(TALCHER)	01.07.2020
6	M RAMANJANEYULU	HWP(MANUGURU)	01.07.2020
7	RAJU JAYRAM LONPANDE	HWP(MANUGURU)	01.07.2020

The above officers relinquished the charge of lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

G. SELVAKUMAR, Administrative Officer-III

No.HWB/R/4(15)/2020/47—The President is pleased to appoint Shri Dilipbhai Mohanlal Jayswal, Scientific Officer/D(Level 11 of Pay Matrix), Heavy Water Plant (Baroda) as Scientific Officer/E in the Level 12 of Pay Matrix with effect from the forenoon of July 1st, 2020 untill further orders in the same plant in a temporary capacity.

G. SELVAKUMAR, Administrative Officer-III

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 18th January 2021

No.AMD-16/1/2018-Rectt/122—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research Department of Atomic Energy, hereby appointsSmt. LalitaMahendra, Assistant Accountant[Level 7 in the Pay Matrix], Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai to officiate as Assistant AccountsOfficer [Level 8 in the Pay Matrix] in WesternRegion, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Jaipur with effect from the forenoonof21.12.2020 until further orders.

N. ANJANI KUMAR, Chief Administrative & Accounts Officer

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 15th January 2021

No.25/2021 (F.No.2-12/9/2020-Adm.II.)—On attaining the age of superannuation, Smt. MeeraShekhar, Director, Ministry of Power shall retire from Government Service in the afternoon of the 31st January, 2021.

HAUSUANTHANG GUITE, Under Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

SUBIR NARAYAN GARAI Digitally signed by SUBIR NARAYAN GARAI Date: 2021.02.06 03:14:51 +05'30'